

धारा (4) (1) घ

प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्य विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा।

सम्प्रति ऐसी सूचना अप्राप्त है।

